"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 334] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 अगस्त 2013—श्रावण 10, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2013

क्रमांक 6505/डी. 229/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26-07-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 22 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (क्रमांक 1 सन् 1982) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 3 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (क्रमांक 1 सन् 1982) की धारा 3 की उप-धारा (1) के परंतुक के खण्ड (पांच) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(छः) किसी विद्युत उत्पादन कंपनी जिसमें राज्य शासन की कम से कम 26 प्रतिशत अंशधारिता हो, द्वारा उपभोग या उपयोग की गई अथवा राज्य शासन के स्वामित्व की वितरण अनुज्ञप्तिधारी को बेची या प्रदाय की गई विद्युत के संबंध में कोई ऊर्जा विकास उपकर देय नहीं होगा.

स्पष्टीकरण—

1. इस धारा के प्रयोजन हेतु सरकारी कंपनी द्वारा उसकी सहायक कंपनी में अंशधारिता राज्य शासन की अंशधारिता मानी जाएगी.

2. "वितरण अनुज्ञप्तिधारी" का वही अर्थ होगा, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 2 की उप-धारा (17) में है.

3. "उत्पादन कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा 2 की उप-धारा (28) में है.

4. "सरकारी कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा 2 की उप-धारा (31) में है."

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2013

क्रमांक 6505/डी. 229/21-अ/प्रारू./छ.ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 22 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 22 of 2013)

CHHATTISGARH UPKAR (SANSHODHAN) ACT, 2013

An Act to further amend the Chhattisgarh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Upkar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in Official Gazette.

Amendment of Section 3.

2. After clause (v) of proviso to sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982), the following shall be added, namlely :—

"(vi) Consumed or used by any generating company, in which the State Government holds at least twenty six percent equity, by it or sold or supplied to a Distribution Licensee owned by the Government.

Explanation.—

1. For the purpose of this Section, equity holding by a Government Company in its Subsidiary Company shall be deemed to be equity holding of the State Government.

2. **"Distribution Licensee"** shall have the same meaning as defined under sub-section (17) of Section 2 of the Electricity At, 2003 (No. 36 of 2003).

3. **"Generating Company"** shall have the same meaning as defined under sub-section (28) of Section 2 of the Electricity At, 2003 (No. 36 of 2003).

4. **"Government Company"** Shall have the same meaning as in subsection (31) of Section 2 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003)."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.